

प्रैस नोट

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0 शिमला द्वारा जारी दिनांक 06 फरवरी, 2024 के आदेशों की अनुपालना करते हुए उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ऊना श्री देवेन्द्र चन्देल ने कहा कि जिन निजी स्कूल प्रमुखों ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए मान्यता का ऑनलाईन नवीनीकरण सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में तकनीकी और अन्य मुद्दों के कारण पूरा नहीं किया है, उन स्कूल प्रमुखों को मान्यता के नवीनीकरण को ऑफलाईन पूरा करने के लिए एक बार की छूट की अनुमति दी गई है। जिन स्कूलों की मान्यता का ई नवीनीकरण अभी भी दिया जाना बाकी है, वे स्कूल प्रमुख ऑफ लाईन के माध्यम से फाईल नवीनीकरण हेतु इस कार्यालय में दिनांक 7 मार्च, 2024 से पहले जमा करवाना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

संख्या : ई0डी0एन0-यू (जी-1)निजी स्कूल / 2023-24 689 दिनांक 4/03/24

प्रतिलिपि:

1. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ऊना हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सूचना सभी प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।